9.1.2025

वकील साक्षी हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा गोरा जी का निवासी तहसील कप्तानगंज के खाता संख्या 547 में दर्ज आराजीयात अभियुक्त संख्या 01 के नाम दर्ज रहती है। अभियुक्त संख्या 01 सत्यपाल के पिता है व प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात जुर्म-जुर्म करने पर आमादा है। उक्त आराजीयात मौजूद है जिसके सत्य का एक नक्शा निर्मित है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के पारित किये जाने का निवेदन किया। मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया कि गई बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजीयात मौजूदा मौके [illegible] [illegible] साक्ष्य हस्ताक्षरी [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लिये है। ऐसा भी नहीं कि काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उसे अपनी आवासीय अथवा उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम हो। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़